राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

प.20(1)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक : 05/08/2020.

1.महानिदेशक, पुलिस राज. जयपुर
2.महानिदेशक, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर

विषयः– चयनित वेतनमान पर दण्डादेश के प्रभाव का एसीपी पर पारिणामिक प्रभाव बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग में समय–समय पर प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में यह ज्ञात हुआ है कि एसीपी स्वीकृति के प्रकरणों में, पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान के समय में दिये गये दण्डों के प्रभाव का पारिणामिक प्रभाव (consequential effect) एसीपी पर डाला जा रहा है।

चयनित वेतनमान अंतर्गत राज0सिविल सेवा (पु0वे) नियम 1998 में दिनांक 01.09.1996 से 9/18/27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.02.1998 के बिन्दु संख्या 7 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

Salection grade in terms of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory. The record of service which makes one eligible for promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for the puspose of grant of the Selection Grade.

जबकि एसीपी हेतु राज0सिविल सेवा (पु0वे) नियम 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2006 से एसीपी स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के मेमोरेण्डम आदेश F.14(88)FD(Rules)/2008-I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 2(11) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

If a financial upgradation under the Assured Career Progression Scheme (ACPS) is deferred and not allowed due to the reason of the employee being unfit or due to departmental proceedings, etc., this would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation.

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि चयनित वेतनमान के प्रभावी नियमों के अंतर्गत दिये गये दण्डादेशों का पारिणामिक प्रभाव आगामी चयनित वेतनमान पर देय नहीं था जबकि एसीपी नियमों में दी गई पेनल्टी का पारिणामिक प्रभाव आगामी एसीपी पर भी प्रभावी होगा। इस बिन्दु को निम्न दो दृष्टान्तो से सहज रूप में समझा जा सकता हैः–

05/08/2020.

Scanned with CamScanner

दृष्टान्त–1

प्रथम नियुक्ति	28.11.1985 उप निरीक्षक पुलिस के पद पर
सेवाकाल में प्राप्त सजाऐं एवं विवरण	1. परिनिन्दा दण्ड वर्ष 1994 में अलग–अलग आदेश से 02 दण्ड 2. वर्ष 1998 में 01 असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड 3. वर्ष 2005 एवं 2007 मे 1–1 परिनिन्दा के दण्डादेश
प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक	28.11.1996 (दो सजाओ के प्रभाव से 9 वर्ष की जगह 11 वर्ष पर स्वीकृत)
द्वितीय चयनित वेतनमान	28.11.2004 (1998 मे मिली सजा के प्रभाव से 18 वर्ष की जगह 19 वर्ष पर स्वीकृत)
द्वितीय प्रमोशन (आरपीएस कनिष्ठ वेतन श्रखंला)	पदोन्नति वर्ष 2014–15
तृतीय एसीपी	वर्ष 1994 व वर्ष 1998 में मिले दण्डो का चयनित वेतनमानों पर प्रभाव का पारिणामिक प्रभाव तृतीय एसीपी पर नहीं होगा। वर्ष 2005 व 2007 में दिये गए परिनिन्दा के दण्ड पूर्ववर्ती 7 वर्षो (अर्थात वर्ष 2008–09 से वर्ष 2014–15 तक) की संतोषजनक सेवा के अन्तर्गत गणनीय नहीं होने से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक 28.11.2015 से तृतीय एसीपी नियमानुसार अनुज्ञेय है।

दृष्टान्त–2

प्रथम नियुक्ति	02.04.2000 कॉनिस्टेबल
सेवाकाल में प्राप्त सजाऐं एवं विवरण	वर्ष 2004 में असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने का दण्डादेश
प्रथम एसीपी दिनांक	02.04.2010 (एक दण्ड के प्रभाव से 9 वर्ष की जगह 10 वर्ष पर स्वीकृत)
द्वितीय एसीपी दिनांक	02.04.2019 (प्रथम एसीपी पर सजा के प्रभाव का पारिणामिक प्रभाव के कारण सेवा अवधि 18 वर्ष पूर्ण होने की जगह 19 वर्ष पूर्ण होने पर स्वीकृत)

संलग्न वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन/राय एवं उपरोक्तानुसार एसीपी स्वीकृति प्रकरणों में कार्यवाही कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह०

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राज. जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज. जयपुर
3. लेखाधिकारी, गृह विभाग, राज. जयपुर।

05/08/20

संयुक्त शासन सचिव गृह (पुलिस)

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112, प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचि. जयपुर T.No. 0141-2227294/Ext. 22325,22324 (Typing/ 74)

Scanned with CamScanner